उत्तर प्रदेश शासन,
नियोजन अनुभाग–1,
संख्या : 40 / 2015 / 1261 / 35–1–2015–2 / 1(86) / 2014
लखनऊ : दिनॉक– 03 दिसम्बर, 2015

कार्यालय–ज्ञाप

प्रदेश के ऊर्जा आवश्यकताओं की वैकल्पिक ऊर्जा संसाधनों से पूर्ति करते हुए पेट्रोलियम आधारित ईधन की खपत को कम करने, ग्रीन हाउस गैसेज के उत्सर्जन में गुणात्मक रूप से कमी लाते हुये जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को कम करने तथा बड़े पैमाने पर स्वरोजगार के अवसर सृजित करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा राज्य जैव ऊर्जा नीति–2014 लागू की गई है। इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–1569 / 35–1–2014–2 / 1(86) / 2014, दिनांक 14 नवम्बर, 2014 निर्गत किया जा चुका है। जैव ऊर्जा वृक्षारोपण के गैस्टेशन पीरियड के दौरान किसानों की स्थायी आय वृद्धि एवं जन सामान्य के स्वास्थ्य वर्धन हेतु देश / प्रदेश की भूमि में पूर्व से उत्पादित हो रही विभिन्न औषधीय एवं सगंध पौधों / पुष्पों / कन्दों आदि की व्यावसायिक कृषिकरण तथा मूल्य संवर्धन हेतु उच्च स्तरीय निर्णयोपरान्त शासनादेश संख्या–2587 / अड़तीस–7–2008–351एन0आर0इ0जी0ए0 / 2008, दिनांक 31 अक्टूबर, 2008 तथा शासनादेश संख्या–1085 / अड़तीस–7–2015–156 मनरेगा / 2012, दिनांक 05 जून, 2015 निर्गत करते हुए इसके क्रियान्वयन हेतु लाइन विभाग के रूप में नामित बायो इनर्जी मिशन सेल को सुदृढ़ीकृत करते हुए इसके स्थान पर **"उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड"** का गठन किए जाने का निर्णय लिया गया है।

2. उक्त से आच्छादित योजनाओं / कार्यक्रमों के सुचारू / समयबद्ध क्रियान्वयन हेतु श्री राज्यपाल निम्नवत् सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(अ) उक्त कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु **"उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड"** का गठन किया जाता है, जिसके अध्यक्ष एवं सदस्यों का विवरण निम्नवत् है :–

क0सं0	अधिकारी का विवरण (पदेन)	पदनाम
1.	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2.	कृषि उत्पादन आयुक्त	उपाध्यक्ष
3.	प्रमुख सचिव, नियोजन	सदस्य
4.	प्रमुख सचिव, वित्त	सदस्य
5.	प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास	सदस्य

6.	प्रमुख सचिव, पंचायतीराज	सदस्य
7.	प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण	सदस्य
8.	प्रमुख सचिव, ग्रामीण लघु एवं मध्यम उद्योग	सदस्य
9.	राज्य समन्वयक, बायो इनर्जी मिशन सेल, नियोजन विभाग	सदस्य संयोजक

(ब) योजनाओं के क्रियान्वयन प्रक्रिया के सुचारू रूप से संचालन से संबंधित महत्वपूर्ण नीति विषयक निर्णय उक्त बोर्ड द्वारा ही लिये जायेंगे।

3. **बोर्ड के अधिकार एवं दायित्व :** बोर्ड के संविधान के अनुसार प्रदत्त समस्त दायित्व एवं अधिकार निम्नवत है:–

3.1 बोर्ड के उद्देश्यों एवं निर्धारित कार्यों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु समस्त प्रशासनिक एवं प्रबन्धकीय व्यवस्था का संचालन करना, आवश्यकतानुसार संविधान में वांक्षित संशोधन करना।

3.2 बोर्ड का वार्षिक बजट एवं कार्ययोजना तैयार करना तथा उसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु कार्य करना।

3.3 बोर्ड द्वारा तैयार की गयी कार्ययोजनाओं को लागू करने हेतु आवश्यक वित्तीय संसाधन राज्य सरकार/भारत सरकार/अन्य वित्तीय संगठनों से प्रत्यक्ष अथवा सम्बन्धित विभागों द्वारा संचालित समान उद्देश्य की परियोजनाओं से प्रोजेक्ट मोड में प्राप्त कर उसका समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।

3.4 बोर्ड के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु यथा आवश्यकता वित्तीय संसाधन कन्वर्जेन्स के माध्यम से प्राप्त कर उसका समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करना।

3.5 बोर्ड के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सम्बन्धित विषयवस्तु विशेषज्ञों/सलाहकारों का पैनल/समिति/उपसमिति का गठन करना एवं उनके विशेषज्ञ परामर्श को समयबद्ध तरीके से लागू करना।

3.6 बोर्ड द्वारा संचालित परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त कर विभिन्न संवर्ग के आवश्यक पदों का सृजन करना तथा उस पर योग्य अभियर्थियों का चयन/तैनात करना, उनका पारिश्रमिक एवं उनके दायित्व निर्धारित करना।

3.7 बोर्ड के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जनपदवार/जलवायु जोनवार दीर्घकालिक कार्ययोजना तैयार करना तथा उसके क्रियान्वयन हेतु वांछित संसाधनों का आंकलन करना।

3.8 जैव ऊर्जा विकास तथा औषधीय एवं संगन्ध पौध उत्पादन कार्यक्रम हेतु पूर्व से कार्यरत संगठनों/संस्थानों/विभागों के साथ आवश्यक समन्वय कर प्रारम्भिक विकास जैसे– नर्सरी की स्थापना, वृक्षारोपण, विधायन/उत्पादन इत्यादि हेतु आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं का सृजन करना।

3.9 जैव ऊर्जा सेक्टर में पब्लिक–प्राइवेट–पंचायत–पार्टनरशिप के अन्तर्गत वैल्यू–चेन–मैकेनिज्म के अन्तर्गत इस सेक्टर में कार्यरत अग्रणी प्राइवेट सेक्टर कम्पनियों/उद्यमियों के साथ कार्य करने की प्रकिया को प्रोत्साहित करना।

3.10 प्रदेश में उपलब्ध कृषि, औद्यानिकी एवं चारागाह हेतु पूर्णतः अनुपयुक्त भूमि की उपलब्धता की जनपदवार/क्षेत्रवार सर्वेक्षण कर सूची तैयार करना तथा उस पर जैव ऊर्जा पौध रोपण तथा बोर्ड के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अन्य आवश्यक कार्य सुनिश्चित करना।

3.11 परियोजनाओं के भौतिक प्रगति की मानिटरिंग करना।

3.12 बोर्ड के वित्तीय स्थिति की समीक्षा करना, वार्षिक लेखा अंकेक्षण की व्यवस्था करना तथा परियोजनाओं के कियान्वयन हेतु आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था हेतु प्रयास करना।

3.13 बोर्ड के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु मान्य मानकों के अन्तर्गत चल–अचल सम्पत्ति का दान प्राप्त करना, बोर्ड के वर्तमान भवन/कार्यालय में आवश्यक संशोधन तथा आवश्यकतानुसार कार्यालय हेतु नये भवन का निर्माण करना।

3.14 बोर्ड द्वारा संचालित परियोजनाओं के दौरान सृजित लाभांश को समान उद्देश्य की पूर्ति हेतु नियमानुसार निवेश करना/विनिवेश करना।

3.15 बोर्ड के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु भविष्य में समय–समय पर लागू होने वाले शासनादेशों/निर्देशों/नोटिफिकेशन्स को लागू करना।

उक्त अधिकारों का निर्वहन एवं दायित्वो का कियान्वयन बोर्ड की अनुमति से सदस्य संयोजक द्वारा किया जायेगा।

भवदीय,

आलोक रंजन
मुख्य सचिव।

संख्या– 40/2015/1261(1)/35–1–2015–2/1(86)/2014 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2– प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
3– सचिव–नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय/वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय/पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय/ग्रामीण विकास मंत्रालय/पंचायतीराज मंत्रालय/पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय/कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय/खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय, भारत सरकार।
4– कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
5– औद्योगिक एवं अवस्थापना विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।

6— समस्त प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
7— समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
8— समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9— समस्त संबंधित विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
10— रजिस्ट्रार, सोसाइटीज चिट्स फण्ड एवं फर्म्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि कृपया "उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड" के गठन की कार्यवाही शीघ्र निस्तारित करें।
11— विशेष सचिव, नियोजन अनुभाग–1/2/3/4
12— राज्य योजना आयोग–1/2/राज्य नियोजन संस्थान के समस्त प्रभागाध्यक्ष।
13— राज्य समन्वयक, बायो इनर्जी मिशन सेल, नियोजन विभाग, उ0प्र0/सदस्य संयोजक "उ0प्र0 राज्य जैव ऊर्जा विकास बोर्ड"।
14— गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राज प्रताप सिंह)
प्रमुख सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन,
नियोजन अनुभाग–1
संख्या : 521 / 35–1–12, दिनांक : 30 अप्रैल, 2012

कार्यालय–ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है, कि प्रदेश में बायो इनर्जी सेक्टर के सर्वांगीण एवं समन्वित विकास हेतु एतद्द्वारा प्रदेश के प्रत्येक जनपद में जनपद स्तरीय जैव ऊर्जा समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है :–

1.	जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	मुख्य विकास अधिकारी	सदस्य
3.	प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
4.	जिला पंचायत राज अधिकारी	सदस्य
5.	जिला उद्यान अधिकारी	सदस्य
6.	जिला कृषि अधिकारी	सदस्य
7.	परियोजना अधिकारी, यू0पी0 नेडा	सदस्य
8.	परियोजना अधिकारी, बी0आर0इ0एल0	सदस्य
9.	परियोजना अधिकारी आई0ओ0सी0–रूचि बायोफ्यूल एल0एल0पी0	सदस्य
10.	बा0इ0मि0से0 द्वारा प्रशिक्षित युवा / सम्बन्धित जनपद का परियोजना से जुड़ा अग्रणी किसान (समिति के अध्यक्ष द्वारा नामित)	सदस्य
11.	परियोजना निदेशक, डी0आर0डी0ए0	सदस्य सचिव

ज्ञातव्य है कि उक्त समिति द्वारा निम्नलिखित कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन किया जायेगा:–

(क) जनपद में बायो इनर्जी सेक्टर का सर्वांगीण एवं समन्वित विकास।
(ख) बायो इनर्जी सेक्टर में आवश्यक लिंकेजेज सुनिश्चित करना।
(ग) बायो इनर्जी सेक्टर में संचालित विभिन्न योजनाओं जैसे : बायो गैस प्लान्ट्स की स्थापना, सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के ठोस एवं द्रव अपशिष्ट प्रबन्धन मद के अन्तर्गत कृषि अपशिष्ट आधारित बायो गैस उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत कम्यूनिटी / व्यक्तिगत इकाइयों की स्थापना, मनरेगा पोषित जीवन ज्योति परियोजना तथा जीवन शक्ति परियोजना इत्यादि का समयबद्व संचालन अनुश्रवण एवं मूल्यांकन।
(घ) जनपद के ऊसर परती, बंजर तथा कृषि हेतु पूर्णतया अनुपयुक्त भूमि पर जेट्रोफा / करंज रोपण का कार्य नियोजन अनुभाग–1 के शासनादेश संख्या 578 / 35–1–2008, दिनांक 25 मार्च, 2008 में विहित व्यवस्थानुसार प्राथमिकता के आधार पर संचालित करना।

(च) नियोजन अनुभाग–1 के शासनादेश सं0 244/35–1–12 दिनांक 28 फरवरी 2012 द्वारा गठित राज्य स्तरीय स्टीयरिंग समिति (बायो इनर्जी सेक्टर) द्वारा समय–समय पर लिये गये निर्णयों तथा सम्बन्धित दिशा निर्देशों का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित करना।

(छ) जैव ऊर्जा के अन्य आयामों को विकसित करने हेतु आवश्यक कदम उठाना।

प्रश्नगत समिति की बैठकें मासिक होगी किन्तु विशेष परिस्थितियों में बैठकें कभी भी बुलायी जा सकेंगी। सम्बन्धित मासिक प्रगति रिपोर्ट आगामी माह की दस तारीख तक राज्य समन्वयक एवं सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय स्टीयरिंग समिति (बायो इनर्जी सेक्टर), कक्ष सं0 534, पॉचवां तल, योजना भवन लखनऊ : 226001 अथवा e-mail : ps_ojha@yahoo.com पर उचित प्रारूप में प्रस्तुत करनी होगी। सम्बन्धित प्रारूप web site: http://jetropha.up.nic.in से प्राप्त की जा सकती है।

आलोक रंजन
कृषि उत्पादन आयुक्त

संख्या : 521(1)/35–1–2012, तद्दिनांक

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री।
2. मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. सम्बन्धित विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव।
4. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
5. समस्त जिलाधिकारी उ0प्र0।
6. स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त।
7. निजी सचिव, प्रमुख सचिव नियोजन के उपयोगार्थ।
8. निजी सचिव, सचिव नियोजन विभाग के उपयोगार्थ।
9. समस्त प्रभागाध्यक्ष, (नवीन प्रभाग), नियोजन विभाग।
10. समिति के सभी सदस्य।
11. राज्य समन्वयक, बायो इनर्जी मिशन सेल।
12. राज्य योजना आयोग, अनुभाग–1 एवं 2।
13. गार्ड फाइल।

(आर0 पी0 सिंह)
प्रमुख सचिव

उत्तर प्रदेश सरकार
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2
संख्या-क0नि0-2-1708/ग्यारह–9(115)/14–उ0प्र0अधि0–5–2008–आदेश–(146)–2015
दिनांक: 08 दिसम्बर, 2015

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2008) की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल, उक्त अधिनियम की अनुसूची–एक में दिनांक 09 दिसम्बर, 2015 से निम्नलिखित संशोधन करते हैं:–

संशोधन

उक्त अनुसूची–एक में, क्रम संख्या 13 की प्रविष्टि में, अर्द्धविराम और शब्द " ; बायोमास/बायोगैस से चालित इंजन एवं जनरेटिंग सेट तथा उनके पार्ट्स" अन्त में बढ़ा दिये जायेंगे।

आज्ञा से,

(हरेन्द्र वीर सिंह)
विशेष सचिव।

UTTAR PRADESH SHASAN
SANSTHAGAT VITTA, KAR EVAM NIBANDHAN ANUBHAG-2

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. KA.NI.-2-1708/XI-9(115)/14-U.P.Act-5-2008-Order-(146) -2015 dated December 08, 2015:

NOTIFICATION

No.- KA.NI.-2-1708/XI-9(115)/14-U.P.Act-5-2008-Order-(146) -2015
Lucknow::Dated:: December 08, 2015

In exercise of the powers under sub-section(4) of section 4 of the Uttar Pradesh Value Added Tax Act, 2008 (U.P.Act no. 5 of 2008), the Governor is pleased to make with effect from December 09, 2015 the following amendment in Schedule-I to the said Act:-

AMENDMENT

In the said Schedule-I, in the entry at serial number 13, the semicolon and the words " **; Engine and generating set operated by Biomass/Biogas and parts thereof**" shall be inserted at the end.

By order,

(Harendra Veer Singh)
Special Secretary.

उत्तर प्रदेश शासन

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग–2

संख्या–क0नि0–2–1834 / ग्यारह–9(205) / 2014–उ0प्र0अधि0–5–2008–आदेश–(126)–2014

दिनांक: 29 दिसम्बर, 2014

अधिसूचना

चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना समीचीन है :

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2008) की धारा 74 के साथ पठित धारा 7 के खण्ड (ग) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निदेश देते हैं कि दिनांक 14 नवम्बर, 2014 से प्रारम्भ हो कर दस वर्ष के लिये, बायो–फ्यूल (यथा–बायो–डीजल, बायो–एथेनाल, बायो–गैस व प्रोड्यूसर गैस) और उत्तर प्रदेश राज्य के भीतर बायो–फ्यूल के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाली मशीनरी के विक्रय के आवर्त पर उक्त अधिनियम के अधीन किसी कर का उद्ग्रहण और भुगतान नहीं किया जायेगा।

आज्ञा से,

(बीरेश कुमार)
प्रमुख सचिव।

UTTAR PRADESH SHASAN
SANSTHAGAT VITTA, KAR EVAM NIBANDHAN ANUBHAG-2

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of following English translation of Government notification no. KA.NI.-2-1834/XI-9(205)/2014-U.P.Act.-5-2008-Order-(126)-2014 dated December 29, 2014:

NOTIFICATION

No.- KA.NI.-2-1834/XI-9(205)/2014-U.P.Act.-5-2008-Order-(126)-2014
Lucknow::Dated:: December 29, 2014

Whereas the State Government is satisfied that it is expedient in the public interest so to do :

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under clause (c) of section 7 read with section 74 of the Uttar Pradesh Value Added Tax Act, 2008 (U.P.Act no. 5 of 2008), the Governor is pleased to direct that no tax shall be levied and paid under the said Act on the turnover of sale of Bio-Fuel (i.e. Bio-Diesel, Bio-Ethanol, Bio-Gas and Producer Gas) and machinery used in production of Bio-Fuel in the State of Uttar Pradesh, for ten years commencing from November 14, 2014.

By order,

(Biresh Kumar)
Pramukh Sachiv.

महत्वपूर्ण / समयबद्ध

संख्याः–126 /अड़तीस–9–2015–02(बायो) / 2014

प्रेषक,

श्री अरुण सिंघल
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग–9

लखनऊ दिनांक 13 फरवरी, 2015

विषयः–बायो वेस्ट के उपयोग व उससे बायोगैस उत्पन्न करने हेतु मनरेगा योजना के अपशिष्ट प्रबन्धन के कार्य के अन्तर्गत कनवर्जेन्स के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत संचालित मनरेगा योजना के अपशिष्ट प्रबन्धन के कार्य के अन्तर्गत कनवर्जेन्स पर बायोगैस वेस्ट प्लान्ट निर्मित कर सॉलिड, लिक्विड वेस्ट मैटेरियल का ट्रीटमेन्ट किये जाने के सम्बन्ध में मनरेगा मार्ग निर्देशिका–2013 के प्रस्तर–7.13 के संशोधित अनुसूची के पैरा–XV के दृष्टिगत कार्यवाही किये जाने पर विचार किया जा रहा है। इस हेतु ग्राम पंचायतें वर्ष 2015–2016 के लेबर बजट/कार्य योजना में इस कार्य को निम्न बिन्दुओं के दृष्टिगत सम्मिलित करने पर विचार करने का कष्ट करें:–

(1)– जिन ग्राम पंचायतों में पंचायती राज विभाग/यूनीसेफ द्वारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट के अन्तर्गत धनराशि उपलब्ध करायी गयी है, वहाँ पर कार्य योजना बनाते समय मनरेगा योजनान्तर्गत कनवर्जेन्स की कार्य योजना बनायेंगे।

(2)– जिन ग्राम पंचायतों में पंचायती राज विभाग/यूनीसेफ द्वारा धनराशि उपलब्ध नहीं करायी गयी है, वहाँ मनरेगा योजना के अन्तर्गत इस कार्य को कार्य–योजना में सम्मिलित करेंगे।

2– कृपया उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुये कार्य–योजना ग्राम्य विकास आयुक्त को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(अरुण सिंघल)
प्रमुख सचिव।

–2/

संख्या– 126 (1)/अड़तीस–9–2014/ तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 लखनऊ को उनके पत्र संख्या–जी0ओ0–160/कार्यक्रम–बायोगैस/2014–15, दिनांक–01.10.2014 के संदर्भ में इस आशय से प्रेषित कि राज्य समन्वयक बायो इनर्जी मिशन सेल से उक्त कार्य हेतु सर्वप्रथम मॉडल स्टीमेट प्राप्त करते हुये समस्त ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे कार्य–योजना बनाते समय ग्राम पंचायतें उक्त परियोजना के चयन पर विचार कर सकें। साथ ही बी0ई0एम0सी0 यूनीसेफ मॉडल बायोगैस प्लान्ट के सम्बन्ध में राज्य समन्वयक बायो इनर्जी मिशन सेल से समन्वय स्थापित कर समस्त मुख्य विकास अधिकारियों/संयुक्त आवास आयुक्तों की मासिक समीक्षा बैठक में उक्त प्रोजेक्ट का 10 मिनट का प्रस्तुतीकरण कराने तथा समस्त मुख्य विकास अधिकारियों द्वारा प्राप्त कार्य–योजना को समेकित रूप से ग्राम्य विकास अनुभाग–7 को उपलब्ध करावें, ताकि वें इस पर अग्रेतर कार्यवाही कर सकें।

आज्ञा से,

(ओम प्रकाश तिवारी)
अनु सचिव।

2104/PSP/15

संख्या/1499/59-1-2015-93(खा)/2014

प्रेषक,

मुकुल सिंहल,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड,
लखनऊ।

खादी एवं ग्रामोद्योग अनुभाग-1 लखनऊ : दिनांक: 14 मई, 2015

विषय : जैव ऊर्जा उत्पादन से सम्बन्धित लघु उद्यमियों को खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अर्न्तगत संचालित परियोजनाओ में, अनुमन्य सुविधाओ का लाभ प्रदान किया जाना।

महोदय,

राज्य जैव ऊर्जा नीति के क्रियान्वयन विषयक नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या-1569/35-1-2014-2/1(86)/2014 दिनांक 14.11.2014 द्वारा प्रदेश में जैव ऊर्जा आधारित उद्योगों को कतिपय प्रोत्साहन प्रदान किये गये है। उक्त शासनादेश के प्रस्तर-9.2 में यह प्रावधान किया गया है कि उ0प्र0 खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड ग्रामीण औद्योगिक विकास हेतु अनुमन्य विभिन्न विकास योजनाओं के अर्न्तगत जैव-ऊर्जा से सम्बन्धित उद्यमियों को अनुमन्य सुविधाओं का लाभ प्रदान करेगा।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग के अधीन उ0प्र0 खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से संचालित मुख्य मंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना से आच्छादित उद्योगों में जैव ऊर्जा से सम्बन्धित लघु उद्योगों को सम्मिलित किये जाने का निर्णय शासन द्वारा लिया गया है। योजना के अर्न्तगत अनुमन्य सुविधायें एवं लाभ जैव ऊर्जा सम्बन्धी उद्योगों को भी तात्कालिक प्रभाव से अनुमन्य होंगे। मुख्य मंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना इस सीमा तक संशोधित समझी जायेगी।

मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि उ0प्र0 खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के पत्रांक-268-69/खा0ग्रा0बो0/पीएमईजीपी/जैव/सौरऊर्जानीति पत्रा0/2015-16 दिनांक 07.05.2015 द्वारा अवगत कराया गया है कि खादी आयोग भारत सरकार द्वारा सोलर एवं बायो ऊर्जा आधारित उद्योगों को पीएमईजीपी के अर्न्तगत उद्योग स्थापना हेतु अनुमन्य किया गया है। जिसके क्रम में वर्ष 2015-16 में पीएमईजीपी योजना के

वि0प्र0 (ज)

09-06-2015

(डा० अनूप चन्द्र पाण्डेय)
प्रमुख सचिव
नियोजन विभाग
उ० प्र० शासन।

213/VS(J)/15
ज समन्वयक (श्री कौशल)

10.6.2015

(जे० डी० सिंह)
विशेष सचिव
नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश

सम्बन्धित सलाह
तत्काल आवश्यक कार्यवाही

अर्न्तगत अन्य उद्योगों के अलावा सोलर एवं बायो ऊर्जा आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु इच्छुक अभ्यर्थियो को लाभान्वित कराया जायेगा।

उपर्युक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में व्यापक प्रचार एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित कराना सुनिश्चित करें जिससे जैव ऊर्जा से सम्बन्धित लघु उद्यमियों को मुख्य मंत्री एवं प्रधान मंत्री योजना के अर्न्तगत अनुमन्य सुविधाओं की समुचित जानकारी प्राप्त हो सके। अपने अधीन समस्त मण्डल स्तरीय एवं जनपद स्तरीय अधिकारियों को भी इस सम्बन्ध में निर्देशित कर दें। प्रत्येक जनपद स्तरीय अधिकारियों का दायित्व होगा कि वे जैव ऊर्जा आधारित उद्योगों की स्थापना एवं उद्यमियो को अनुमन्य करायी गयी सुविधाओं के सम्बन्ध में प्रगति रिपोर्ट बोर्ड के माध्यम से बायो गैस मिशन सेल को प्रस्तुत करें। बोर्ड द्वारा भी मासिक प्रगति की संकलित सूचना शासन को एवं बायो गैस मिशन सेल को उपलब्ध करायी जायेगी।

भवदीय

मुकुल सिंहल
प्रमुख सचिव

संख्या-449(1)/59-1-2015 तद्दिनांक

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, नियोजन को उनके पत्र संख्या-CS-09/35-1-2015-2/1(86)/2014, दिनांक 08 मई, 2015 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. समस्त मण्डलायुक्त।
3. समस्त जिलाधिकारी।

आज्ञा से

N. Sri

(निर्मला श्रीवास्तव)
उप सचिव

संख्या-1085 /अडतीस-7-2015-156मनरेगा/2012

प्रेषक,

अरुण सिंघल,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

1 समस्त जिलाधिकारी/जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश।

2 समस्त मुख्य विकास अधिकारी/अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-7 लखनऊ दिनांक 05 जून, 2015

विषय- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजनान्तर्गत 'जीवन ज्योति परियोजना' एवं 'जीवन शक्ति परियोजना' के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय,

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम-2005 एवं समय-समय पर भारत सरकार द्वारा निर्गत शासनादेशों एवं दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत प्रदेश में स्थायी स्वरोजगार के अतिरिक्त अवसर सृजित करने के उददेश्य से मनरेगा कनवर्जेन्स के अन्तर्गत शासनादेश संख्या- 2592/38-7-2008-351एनआरईजीए/2008 दिनांक: 31-10-2008, जो बायो डीजल परियोजना के संचालन से संबंधित है, एवं शासनादेश संख्या- 2587/38-7-2008-351एनआरईजीए/2008 दिनांक: 31-10-2008, जो औषधि एवं सगन्ध पौधों के रोपण से संबंधित है, निर्गत किया गया है। इसी प्रकार भारत सरकार द्वारा निर्गत परिपत्र संख्या- 11017/17/2008-नरेगा(यूएन) (पार्ट- II) दिनांक: 29-12-2014, परिपत्र संख्या- 11017/41/2012-नरेगा(यूएन) (पार्ट- II) दिनांक: 17-09-2014 एवं परिपत्र संख्या-जी-31011/04/2013-एमजीनरेगा-V) दिनांक: 21-07-2014 के क्रम में शासनादेश संख्या- जीआई-14/अडतीस-7-2015-156नरेगा/2012 दिनांक: 14-01-2015 एवं राज्य जैव ऊर्जा नीति के क्रियान्वयन के संबंध में नियोजन अनुभाग-1 से शासनादेश संख्या- 1569/35-1-2014-2/1(86)/2014 दिनांक: 14-11-2014 निर्गत किया गया है।

2- इस संबंध में निर्गत शासनादेश दिनांक: 14-01-2015 में मनरेगा अन्तर्गत निम्नलिखित 11 महत्वपूर्ण पौधों यथा सीमारूबा, महुआ, च्यूरा, कोकम, ऑलिव, नीम, जेट्रोफा, जेजोबा, तुंग, वाइल्ड एप्रीकॉट एवं करंजा के रोपण एवं अनुरक्षण की व्यवस्था की गयी है, किन्तु नियोजन विभाग की संस्तुति एवं उ0प्र0 राज्य की कृषि, सामाजिक वानिकी तथा चारागाह हेतु अप्रयुक्त भूमि का उपयोग कर यथा निर्देशित बहुवर्षीय बायो डीजल पौधों, जो यहां की जलवायु के लिए उपयुक्त है, यथा नीम, महुआ, करंजा, सीमारूबा, जेट्रोफा के रोपण की कार्यवाही की जायेगी एवं इनके तैयार होने की अवधि में मनरेगा जाब कार्ड धारकों की आर्थिक समृद्धि हेतु अन्य बहुवर्षीय कृषि क्रियाकलापों में लेमन ग्रास, पामारोजा, सेट्रोनेला, खस, सर्पगंधा, सतावर, सनाय, ग्वारपाठा, गुडमार, बच, मुस्कदाना,

पिपली, कौंच, गिलोय का रोपण एवं बायो मास उत्पादन कर आर्थिक विकास में योगदान प्रदान किया जायेगा।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नियोजन विभाग द्वारा उपलब्ध कराये गये संशोधित प्रस्ताव के अनुक्रम में योजना की रूपरेखा एवं क्रियान्वयन के विभिन्न स्तरों के दिशा-निर्देश निम्नवत होंगे:-

3.1 योजना का नाम:- जीवन ज्योति परियोजना (बायो डीजल पौधों का रोपण) एवं जीवन शक्ति परियोजना(औषधीय एवं सगन्ध पौधों का रोपण) के नाम से क्रियान्वित किया जायेगा।

3.2 अनुश्रवण एवं क्रियान्वयन :- बायो इनर्जी मिशन सेल द्वारा संचालित परियोजनाओं की जनपद स्तर पर मानीटरिंग एवं अनुश्रवण प्रत्येक माह संबंधित जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

कृपया उक्त निर्देशों का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(अरुण सिंघल)

प्रमुख सचिव ।

संख्या- 1085 (1)/अड़तीस-7-2015-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. स्टाफ आफिसर,कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव/सचिव, लाइन विभाग, उ0प्र0शासन।
4. आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
5. अपर आयुक्त (मनरेगा), ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
6. राज्य समन्वयक, बायो इनर्जी मिशन सेल, नियोजन विभाग, उ0प्र0।
7. नियोजन अनुभाग-1
8. समस्त संयुक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक/परियोजना निदेशक, डीआरडीए, उ0प्र0।
9. गार्ड बुक।

आज्ञा से

(उमा कान्त पाठक)

उप सचिव।

1621

संख्या : / 33—3—2015—154 / 2014टीसी

प्रेषक,

चंचल कुमार तिवारी
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन,

सेवा में,

(1) समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

(2) समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पंचायती राज अनुभाग—3 लखनऊ : दिनाँक: 29 जून ,2015

विषयः—ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत ठोस एवं तरल पदार्थ अपशिष्ट प्रबन्धन हेतु व्यवस्था/कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश।

महोदय,

आप अवगत हैं कि स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सामान्य जीवन स्तर में सुधार लाना है। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन इस अभियान का एक प्रमुख घटक है। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन कार्य को परिवार की संख्या के आधार पर ग्राम पंचायत के लिए निर्धारित वित्तीय सहायता से प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए परियोजना आधार पर शुरू किया जाना है ताकि सभी ग्राम पंचायतें स्थायी ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाओं को कार्यान्वित करने में समर्थ हो सकें। इस घटक के तहत कम्पोस्ट पिट, वर्मी कंपोस्टिंग, सामुदायिक एवं निजी बायोगैस संयंत्र, कम लागत वाली निकासी, सीवेज चैनल/गड्ढा, अपशिष्ट जल का पुनः इस्तेमाल और संग्रहण प्रणाली, घरेलू कचरा को अलग—अलग करना तथा उसका निपटान करना इत्यादि जैसे क्रियाकलाप शुरू किये जा सकते हैं। बायोइनर्जी मिशन द्वारा गोबर तथा बायोडिग्रेडेबिल कचरे से धरेलू गैस बनाने का संयत्र विकसित किया गया है।

2. उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की ऊर्जा आवश्यकताओं की वैकल्पिक ऊर्जा संसाधनों से पूर्ति करते हुये पेट्रोलियम आधारित ईधन की खपत को कम करने, ग्रीन हाउस गैसेज के उत्सर्जन में गुणात्मक रूप से कमी लाने तथा बड़े पैमाने पर स्वरोजगार सृजित करने के उद्देश्य से निर्गत राज्य जैव ऊर्जा नीति के कियान्वयन के सम्बन्ध में सम्पूर्ण प्रदेश में राज्य जैव ऊर्जा नीति/स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के तहत ठोस पदार्थों के अपशिष्ट प्रबन्धन की व्यवस्था को कियान्वित किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस निमित्त निम्नानुसार व्यवस्था/कार्यवाही सुनिश्चित की जायेः—

.....2/—

(क) प्रदेश में लागू ठोस पदार्थों के अपशिष्ट प्रबन्धन को योजनाबद्ध/चरणबद्ध रूप से अभियान के रूप में संचालित किया जाय। इस कार्य को प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों में ग्राम पंचायतों के लिये निर्धारित वित्तीय सहायता से परियोजना आधार पर संचालित/क्रियान्वित किया जाये। इसके तहत कम्पोस्ट किट, वर्मी कम्पोस्टिंग, सामुदायिक एवं निजी बायोगैस संयंत्र/सामुदायिक बायोगैस संयंत्र, कचरा के निस्तारण/तत्समान क्रियाकलाप इत्यादि किये जायेगें।

(ख) उक्त प्रयोजनार्थ स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत वित्त पोषण, केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात में किया जाता है। प्रत्येक ग्राम पंचायत में परिवारों की कुल संख्या के आधार पर सहायता का निर्धारण किया जाता है, जो 150 परिवार वाले ग्राम पंचायत के लिये अधिकतम 7.00 लाख रू0, 150 से अधिक तथा 300 परिवार वाले ग्राम पंचायतों के लिये 12.00 लाख रू0, 300 से अधिक तथा 500 से परिवारों तक की ग्राम पंचायतों के लिये 15.00 लाख रू0 तथा 500 से अधिक परिवारों के लिये 20.00 लाख रू0 की सहायता प्रदान की जाती है।

(ग) ग्राम पंचायतों की कार्य योजना तैयार कर जिला स्वच्छता समिति से अनुमोदन के उपरान्त निदेशक, पंचायती राज, पंचायतीराज निदेशालय, लखनऊ को भेजी जायेगी, जिसका निदेशालय स्तर पर गठित स्टेट लेबिल स्कीम सैंक्सनिंग कमेटी द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जायेगा।

(घ) प्रश्नगत प्रयोजनार्थ ग्राम पंचायतों में, जन सामान्य के स्तर पर उपलब्ध समस्त प्रकार के सड़ने योग्य कचरे जैसे– गोबर, जानवरों का बचा चारा, खेत की निराई के उपरान्त घासफूस, सगन्ध फसलों के आसवन के उपरान्त प्राप्त अपशिष्ट, ग्रामीण हाट में उपलब्ध खराब तथा सड़ी सब्जी इत्यादि को स्थापित संयंत्र में प्रयोग करके/उपयोग कर घरेलू गैस ईधन का उत्पादन भी अतिरिक्त रूप से किया जा सकेगा, जो न केवल जन सामान्य की दैनिक आवश्यकताओं की आपूर्ति को सुनिश्चित करेगी, अपितु रोजगारपरक तथा आर्थिक दृष्टि से लाभदायक भी है। यह संयंत्र बायो इनर्जी मिशन सेल, नियोजन विभाग, उ0प्र0 तथा यूनिसेफ लखनऊ के संयुक्त प्रयास से विकसित किया गया है।

(च) उक्तानुसार निर्मित/स्थापित सामुदायिक बायोगैस संयंत्रों/इकाईयों के संचालन हेतु स्थानीय स्वरोजगारोन्मुखी व्यक्तियों/लाभार्थी समूहों से इसके प्रबन्धन/संचालन की व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकती है। व्यक्तिगत बायोगैस इकाई की स्थापना की स्थिति में उसका प्रबंधन सम्बंधित लाथार्थी द्वारा किया जायेगा।

(छ) पंचायतें अपनी–अपनी स्वामित्व की रिक्त/खाली पड़ी भूमि पर बायोगैस संयंत्र से प्राप्त स्लरी का उपयोग कर अर्गेनिक खेती हेतु प्रयास करेगी/जनमानस में इसे बढ़ावा देगी/अभिप्रेरित करेगी।

(ज) प्रत्येक स्तर पर इसका व्यापक प्रचार–प्रसार किया जायेगा तथा प्रचार–प्रसार सामग्री इत्यादि के लिए बायो इनर्जी मिशन सेल का सहयोग प्राप्त किया जायेगा।

.....3/–

(झ) उक्त संयंत्र/व्यवस्था से घरेलू उपयोग हेतु गैस ईंधन के साथ–साथ उच्च गुणवत्ता की आर्गेनिक खाद भी प्राप्त होती है तथा आवश्यकता पड़ने पर इस गैस का उपयोग घरेलू/व्यावसायिक उपयोग तथा विद्युत उत्पादन हेतु भी किया जा सकता है। बी0इ0एम0सी–यूनिसेफ नामक इस मॉडल की निःशुल्क विस्तृत जानकारी श्री पी0एस0 ओझा, राज्य समन्वयक, बायो इनर्जी मिशन सेल, नियोजन विभाग, उ0प्र0, कक्ष संख्या–534, पॉचवां तल, योजना भवन, लखनऊ 226001 फोन/फैक्स: 0522–2236213, मोबाइल नं0 : 09415004917, email: ps_ojha @ yahoo.com, Website : http//jetropha. up.nic.in अथवा निदेशक, पंचायती राज निदेशालय, उत्तर प्रदेश, छँठा तल, जवाहर भवन, लखनऊ, फोन – 0522–2286646, फैक्स– 0522–2286611, email: panchraj @nic.in, Web : panchayatiraj.up.nic.in से प्राप्त की जा सकती है।

कृपया उपरोक्तानुसार क्रियान्वयन की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(चंचल कुमार तिवारी)
प्रमुख सचिव।

सं0 : 1621 (1) 33–3–2015– तद्दिनॉक :

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ/अनुपालनार्थ प्रेषित :–

1– प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग,उ0प्र0शासन।
2– प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग,उ0प्र0शासन।
3– प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग,उ0प्र0शासन।
4– स्टाफ आफिसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
5– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
6– निदेशक, पंचायती राज, लेखा उ0प्र0 लखनऊ।
7– निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0/उप निदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण कोष्ठक।
8– अपर आयुक्त, मनरेगा, उ0प्र0शासन।
9– राज्य समन्वयक, बायो इनर्जी मिशन सेल, नियोजन विभाग,उ0प्र0, लखनऊ।
10– समस्त अपर मुख्य अधिकारी, समस्त जिला पंचायत, उ0प्र0 ।
11– समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।

आज्ञा से,

(आर0पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव।